न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः- श्री एस0एस0अली
सदस्य

(133)

निगरानी प्रकरण क्रमांक 4834/2018/नीमच/भू.रा. के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 17.05.2018 के द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 111/2017-18 अपील

1 अम्बालाल पुत्र श्री रुघनाथ जी
2 नन्दूबाई विधवा रुघनाथ जी
3 लच्छी बाई पुत्री श्री रघुनाथ जी
4 मांगीबाई पुत्री श्री रघुनाथ जी
5 लीलाबाई पुत्री श्री रघुनाथ जी
निवासीगण- ग्राम जीरन तहसील जीरन जिला - नीमच (म.प्र.)

-- आवेदकगण

विरूद्ध

1 घीसा लाल पुत्र श्री रामनारायण पाटीदार
निवासी - ग्राम जीरन तहसील जीरन जिला - नीमच (म.प्र.)
2 मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला नीमच

-- अनावेदकगण

श्री कमल सिंह आंजना, अभिभाषक आवेदकगण

आदेश

(आदेश दिनांक 18-04-2019 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 111/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 17.05.2018 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदकगण की ओर से संहिता की धारा 165 (7) के तहत् आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदकगण के स्वामित्व एवं अधिपत्य की कृषि भूमि स्थित मौजा जीरन तहसील जीरन जिला नीमच सर्वे नं. 3238/2/मिन–7 रकवा 0.836 है0 है। उक्त भूमि का शासकीय पट्टा वर्ष 1979–80 में आवेदकगण के पिता रघुनाथ जी पिता बालू को मिला था तब से आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि पर कास्त कर रहे है। पिता रघुनाथ जी मुत्यु उपरान्त आवेदकगण कास्त कर रहे है, आवेदक क्रमांक 1 बीमार रहता है और उसके इलाज के लिये अनावेदक क्रमांक 1 को शासकीय पट्टे की भूमि आवेदकगण विक्रय करना चाहते है इसलिये उसे प्रश्नाधीन भूमि विक्रय की अनुमति दी जाये। इस पर कलेक्टर जिला नीमच द्वारा आदेश दिनांक 28.08.2017 पारित कर भूमि विक्रय की अनुमति का आवेदन पत्र निरस्त किया है। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपील अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी जो पारित आदेश दिनांक 17.05.2018 से निरस्त कर दी गयी इस आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने गये तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का विधिवत् अवलोकन किया गया।

4– कलेक्टर जिला नीमच के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र बिना किसी पर्याप्त कारण के निरस्त किया गया है, जबकि कलेक्टर जिला नीमच द्वारा वर्तमान प्रकरण में

जांच तहसीलदार जीरन से कराई गयी थी और उन्होने जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसकी अनुशंसा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गयी है। जहॉ तक पट्टे की भूमि का विक्रय किये जाने का प्रश्न है, तो इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत 2013 आर.एन. 8 में उल्लेख किया है, कि धारा 165 (7ख) तथा 158 (3) का लागू होना भूमि स्वामी अधिकारो में भूमि का पट्टा–धारा 165 (7ख) तथा 158 (3) के अंतः स्थापन के पूर्व प्रदान किया गया – कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना – ऐसी भूमि का अन्तरण – उपबंध आर्कषित नहीं – उपबंधो को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया – भूतलक्षी रूप से लागू नहीं किया जा सकता इसी आधार पर इस न्यायालय द्वारा वर्ष 2014 आर.एन 168 में इसी सिद्धांत को अनुशरण किया गया है। ऐसी स्थिति में जो आदेश कलेक्टर जिला नीमच एवं अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित किये गये है वह विधिवत् एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 111/2017–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 17.05.2018 एवं कलेक्टर जिला नीमच द्वारा प्रकरण क्रमांक 123/अ–21/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 28.08.2017 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाते है एंव आवेदकगण को ग्राम जीरन तहसील जीरन जिला नीमच में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 3238/2 मिन–7 रकवा 0.836 है0 भूमि विक्रय किये जाने की

अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है। कि क्रेता द्वारा वर्तमान वर्ष की गाईड लाईन से भूमि का मूल्य अदा किया जायेगा उप पंजीयक को निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करे कि क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व अनुबंध के समय दी गयी अग्रिम राशि को कम करके) बैंक चेंक/बैंक ड्राफ्ट/नेंट बेंकिग से आवेदकगण के खाते में जमा की जावेगी परिणाम स्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर